भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3340

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए एम्स विनियमों में संशोधन

3340. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए एम्स विनियम, 1999 की अनुसूची-II और एम्स विनियम 2019 में संशोधन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए एम्स विनियम, 1999 और एम्स विनियम 2019 की अनुसूची-II में संशोधन हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति और राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) नए एम्स ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए सेवा से निष्कासित करने या बड़ा शास्ति, दंड लगाने हेतु सक्षम प्राधिकारी का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार को एम्स, जोधपुर में गैर-सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा से अवैध रूप से निष्कासित करने के संबंध में किसी व्यक्ति/संघ/महासंघ से कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और
(ङ) यदि हाँ, तो इस मामले में जाँच का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): वर्ष 2012 में संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अनुसार, प्रत्येक संस्थान केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बना सकता है। दिनांक 27 जुलाई ,2019 को आयोजित एम्स के केंद्रीय संस्थान निकाय (सीआईबी) की चौथी बैठक में ग्रुप बी कर्मचारियों के संबंध में संस्थान के निदेशक को सभी प्रकार के दंडों के लिए नियुक्ति और अनुशासनिक प्राधिकारी और संस्थान के अध्यक्ष को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। एम्स जोधपुर ने दिनांक 21 जनवरी, 2020 को आयोजित संस्थान निकाय की बैठक में सीआईबी के उपरोक्त निर्णय की पुष्टि की।

(घ) और (ङ): एम्स जोधपुर के एक पूर्व कर्मचारी की ओर से और अखिल भारतीय एम्स कर्मचारी संघ की ओर से दो अभ्यावेदन मंत्रालय में प्राप्त हुए थे, जिनमें एक ग्रुप बी कर्मचारी को गैर-सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा से हटाने का आरोप लगाया गया था, जिनका निपटान सकारण आदेश जारी करके कर दिया गया है।

*****